2-2 A ~~2.2.3~~ (10)

राज्य सेक्टर / आयोजनागत

संख्याः-2490 / III (2) / 07-61(प्रा0आ0) / 2007

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामे,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून ।

देहरादून, दिनांक 25 जुलाई, 2008

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषयः- वित्तीय वर्ष 2008-2009 में अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (एस0सी0एस0पी0) के अर्न्तगत 60 नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति व्यय की स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना के अर्न्तगत
उपलब्ध कराये गये 60 कार्यों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपलब्ध कराये गये कुल 60
कार्यो के आगणनों लागत रू0 14621.83 लाख पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गई
धनराशि रू0 14602.48 लाख की धनराशि की लागत के आगणन की उनके सम्मुख अंकित संलग्न
विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिए
उनके सम्मुख कालम-03 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 6.00 लाख (रू0 छः लाख मात्र) की धनराशि की
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष
स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृति के सापेक्ष संलग्न सूची में वर्णित रू0 1.00 करोड से अधिक लागत के कार्यो पर
वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.5.2008 में दी गई व्यवस्था के अनुसार शासन स्तर से कार्यवाही
किये जाने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व सभी कार्यों के लिये सक्षम
स्तर से प्राविधिक स्वीकृति भी प्राप्त करा ली जायेगी तथा उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं कार्यों
पर किया जायेगा जिसके लिये यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

4- कार्य कराने से पूर्व समस्त वांछित औपचारिकताऐं पूर्ण कराते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचिलित
दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराना सुनिश्चित किया जाये।

5- यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट
से धनराशि पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी हो तो उस कार्य हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही
धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

6- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी
आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने
से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों / पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एंव वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट

2.2.3 A. [illegible]

शासनादेश सं0 2499/III(2)/08-61(9) आ0/07 का अंतर्गत [illegible]

20.	बागेश्वर में गरूड–धैना–लखनी मोटर मार्ग के किमी0 3 एव किमी0 4 का पुनः निर्माण एव सुधार कार्य	2.00	42.00	42.00	0.10
21.	बागेश्वर में दयागड–कठागतबाड़ा–आर बाईपारा में सुधारीकरण एव डामरीकरण स्तर तक कार्य	6.00	126.00	126.00	0.10
22.	बागेश्वर में वज्यूला–मवई–हरिनभरी मोटर मार्ग का नव निर्माण	6.00	370.50	370.50	0.10
23.	बागेश्वर में काफलीगैर से जोंता ग्राम तक मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	147.45	147.45	0.10
24.	बागेश्वर गिरेछिना मोटर मार्ग के थुनाई से गिहिनियां तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	4.00	142.36	142.36	0.10
25.	बागेश्वर में ग्राम पापे हेतु मोटर मार्ग निर्माण	4.00	237.40	237.40	0.10
26.	बागेश्वर में दाणूछीना से लोब तक मोटर मार्ग का बेहरगांव –पगना तक विस्तार	6.00	221.00	220.50	0.10
27.	बागेश्वर में कठपुडियाछिना–रैंखोली–बोडी हल्का वाहन मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन का कार्य	9.00	25[illegible].50	255.00	0.10
28.	बागेश्वर में पालडीछिना–मल्लीढाना–नैनी–विनसर–आपाडी–दाणोछिना–भटखोला मोटर मार्ग का नव निर्माण	6.00	221.00	220.50	0.10
29.	बागेश्वर में हरसिला–पुड़कुनी (पी.एम.जी.एस.वाई.) मोटर मार्ग के किमी0 11 से छुरिया तक मोटर का निर्माण	7.00	725.41	725.41	0.10
30.	बागेश्वर में मुनार–सूपी (पी.एम.जी.एस.वाई.) मोटर मार्ग के किमी0 8 से खलझूनी तक मोटर का निर्माण	12.00 - 6 = 6	827.74	827.74	0.10
31.	बागेश्वर में खलझूनी से मिखिला खलपट्टा तक मोटर मार्ग निर्माण 2 सेतुओं सहित	10.00 + [illegible]	630.57	630.57	0.10
32.	बागेश्वर में ढालन खुनौली मोटर मार्ग से मजवे तक मोटर मार्ग निर्माण सेतु सहित (कपकोट [illegible])	4.00 + 5.50 = 9.50	237.60	237.60	0.10
33.	बागेश्वर में रमाणी कनौली मोटर मार्ग का किचवा तक विस्तार कार्य ।	4.00	147.00	147.00	0.10
34.	बागेश्वर में हरिसिला–पुडकुनी मोटर मार्ग से चचई तक मोटर मार्ग निर्माण सेतु सहित	5.00	455.75	449.59	0.10
35.	बागेश्वर में भंयू–गडेरा मोटर मार्ग नरगडा तक विस्तार सेतु सहित	10.00	485.52	485.52	0.10
36.	बागेश्वर में पिण्डारी ग्लेशियर मोटर मार्ग के किमी0 21 से हरकोट तक मोटर मार्ग निर्माण	5.00	183.75	183.75	0.10
37.	बागेश्वर में कन्यालीकोट जगन्थाना मोटर मार्ग के किमी0 4 से पैंसारी तक मार्ग निर्माण	6.00	287.70	287.70	0.10
38.	बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 21 से पनौरा तक मोटर मार्ग निर्माण	2.00	289.17	289.17	0.10
[illegible]	बागेश्वर में म[illegible]उडियार गवातोली मोटर मार्ग निर्माण	12.00	441.00	441.00	0.10
40.	बागेश्वर में भलोढी मोटर मार्ग निर्माण सेतु सहित	3.00	211.68	211.68	0.10
41.	पिकियारौण के अन्तर्गत रापड़–नौघरिया–सौली–चनौली–भनौली मोटर मार्ग का नव निर्माण	7.00	245.00	245.00	0.10
42.	सल्ट के अन्तर्गत भतरौंजखान जीनापानी उगलिया मोटर मार्ग के किमी0 11 से. 15 के मध्य किमी0 14 मे 24 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु निर्माण	24मी0	61.83	61.83	0.10

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट

A 2.2.8

विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाये। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2009 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाये। कार्य कराते समय टैण्डर तद्विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाये। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर कार्य पूर्ण होता है तो ऐसी समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाये।

7- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8- यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य के निमित्त पूर्व में किन्हीं अन्य बचत से धनराशि स्वीकृत हुई हो तो उसका विवरण शासन को देकर अवशेष धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।

9- इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-30 लेखाशीर्षक-5054 सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सडकें आयोजनागत- 800 अन्य व्यय-02 अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान -02 नये कार्य [illegible]-24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

10. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-673(3)/XXVII(2)/2008, दि० 25/7 [illegible] 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- 60 कार्यो की सूची।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

संख्या-2490(1)/III-(2)/08,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2- आयुक्त गढवाल/कुमायू मंडल, पौडी/नैनीताल।
3- सचिव, समाज कल्याण (नियोजन प्रकोष्ठ), उत्तराखण्ड शासन।
4- समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
5- मुख्य अभियन्ता, गढवाल/कुमायू क्षेत्र,लो0नि0वि0, पौडी/अल्मोड़ा।
6- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8- लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट